झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा, 2018 के प्रमाण पत्रों में त्रुटि के निराकरण एवं प्रमाण पत्रों के वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 50/2018

एतद् द्वारा मध्यमा परीक्षा, 2018 से संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि:–

* मध्यमा परीक्षा, 2018 में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आव्रजन प्रमाण पत्र एवं क्रॉस लिस्ट परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 08.08.2018 से वितरित किए जायेंगे। संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रधानों से अनुरोध है कि वे स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से ससमय उक्त सामग्री निर्धारित स्थानों से प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।
* मध्यमा परीक्षा, 2018 के जिन छात्र/छात्राओं के प्रवेश पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आव्रजन प्रमाण पत्र में नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, पंजीयन संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र/छात्रा सूचीकरण स्लिप के आधार पर अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छायाप्रति के साथ) **दिनांक 07.09.2018** तक संबंधित विद्यालय में जमा करेंगे। संबंधित विद्यालय प्रधान सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 11.09.2018** तक अवश्य ही जमा करेंगे।
* यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो विद्यालय प्रधान द्वारा अग्रसारित आवेदन के साथ प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति तथा प्रति विषय शुल्क 200/– रूपये के बैंक ड्राफ्ट, **JAC FUND** के नाम से निर्गत हो, के साथ स्क्रूटनी हेतु दिनांक 11.09.2018 तक किसी भी कार्यदिवस में परिषद् कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
* इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/– (चार सौ रूपये) के साथ प्रत्येक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

अंक पत्रक/Tabulation Register में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसारित, छात्र के आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति संलग्न कर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 11.09.2018** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। ध्यातव्य हो कि निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(रजनीकान्त वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मध्यमा/4135/18-SECY-445/18
Dt. 07.08.2018
D.O.P. 08.08.2018

8X13